

न्यायालय न्यायिक मजि० पुरवा उन्नाव।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-246 / 2022

सरकार बनाम शिवम

दिनांक-04.05.2022

आवेदक/अभियुक्त शिवम की ओर से अ०सं०-173 / 2022 अन्तर्गत धारा 279,337,338 भा०दं०सं०, थाना पुरवा, जिला उन्नाव में प्रार्थनापत्र पर वर्णित आधारों पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के मार्जिन पर अपराध जमानतीय होना अंकित किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा 20 हजार रुपये का स्वबन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुरवा,उन्नाव।